भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2824
बुधवार, 18 मार्च, 2020/28 फाल्गुन, 1941 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का
कार्यान्वयन

2824. श्री बी॰ लिंग्याह यादवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रोजगार औपचारिकरण योजना, प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के कार्यान्वयन में अनियमितता पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसको लागू किए जाने से अब तक का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या इसमें भविष्य निधि का भी दुरुपयोग किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों सहित की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): भारत सरकार ने नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने और रोजगार को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से 09.08.2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की थी। यह योजना "नए कर्मचारियों" हेतु 01.04.2016 को अथवा उसके उपरांत नई सार्वभौमिक लेखा संख्या (यूएएन) प्राप्त करने की दिनांक से उनके रोजगार के प्रथम तीन वर्षों हेतु था, बशर्ते कि वे किसी ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार में रहे हों।

ईपीएफओ द्वारा आंतरिक रूप से किए गए समवर्ती लेखा-परीक्षा की सिफारिशों के आधार पर, पीएमआरपीवाई के तहत लाभार्थियों के संबंध में डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया आरंभ की गई थी और यह पाया गया कि 79,342 प्रतिष्ठानों ने कुल 7,62,013 अयोग्य सदस्य लाभार्थियों के लिए पीएमआरपीवाई के तहत लगभग 285.27 करोड़ रुपये की राशि का लाभ प्राप्त किया था तथा ऐसे नियोक्ताओं से 23.01.2020 तक 307.60 करोड़ (ब्याज और क्षतिपूर्ति सहित) वसूला गया है।

(ग): प्रतिष्ठानों से वसूली कर्मचारियों के पीएफ लाभों को प्रभावित नहीं करती है क्योंकि उनके पीएफ लाभ नियोक्ताओं द्वारा ईपीएफओ के पास जमा किए जा चूके हैं। नियोक्ताओं ने राज-सहायता का जो लाभ उठाया है, केवल उसे ही इन नियोक्ताओं से अपात्रता के कारण वसूल किया गया है।

*****